



रायपुर 10-07-2025

कस्टम मिलिंग घोटाला: जेल में बंद टुटेजा व अनवर को ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार

काइम रिपोर्टर | रायपुर

राज्य में हुए 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बुधवार को जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगाया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए 14 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। इस मामले में एजेंसी की यह चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले आईटीएस अधिकारी और मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी व राइस मिलर एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस समय जेल में बंद हैं और इनके बयान के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है।

बिना सबूत मौखिक बयान पर बना रहे आरोपी: टुटेजा कोर्ट में अपनी पैरवी खुद करते हुए अनिल टुटेजा ने कहा कि इस मामले में एफआईआर और जांच को 18 माह हो गए हैं। इसमें आरोप पत्र भी पेश कर दिया गया। लेकिन आज तक इस मामले में मुझसे एक भी बार पूछताछ नहीं हुई है। जबकि 15 माह से जेल में बंद हूं। कुछ लोगों के मौखिक बयान पर मुझे आरोपी बना रहे हैं, अब कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। मुझ पर दर्ज किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है।